न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 132/2019

प्रार्थीगण :	बनाम	अप्रार्थीगण :
भल्लाराम पुत्र धनाराम जाति माली निवासी खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।		भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री अभिषेक कच्छावाह प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 29.01.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 82 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 81/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 1/2 वां हिस्सा की खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है । अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन में खारिया अनावास से मालावास जाने वाली डामर सड़क खसरा नम्बर 46, 47/4 गै.मु.सड़क से होकर खसरा नम्बर 48 सरकारी भूमि में से होकर खसरा नम्बर 49 गै.मु.रास्ता सर्व मार्ग से प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 81/1 में आता जाता है तथा खसरानम्बर 81/1 में से अपने खेत खसरा नम्बर 82 में आता जाता है जिसको संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क पी से क्यू दर्शाया गया है । ग्राम खारिया अनावास से मालावास डामर सड़क से खसरा नम्बर 48 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय सरकारी भूमि मे से होकर खसरा नम्बर 49 गै.मु.रास्ता सर्व मार्ग से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 81/1 जो प्रार्थी व प्रार्थी के भाई जयराम ने अपनी सुविधा के लिए आने जाने हेतु रखा हुआ है से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 82 में आता जाता है जो प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है जो सबसे निकटतम व सुलमतम रास्ता के रूप में विद्यमान है । लेकिन गै0मु0 सड़क के पश्चात् सलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी खसरा नम्बर 48 में से होकर खसरा नम्बर 49 गै.मु.गोचर में अपने मवेशियान को चराने व आगे अपने खसरा नम्बर 81/1 व 82 में आत जाते है व टेक्ट्रर ट्रोली, बैल छकड़ा व मवेशियान को लाते ले जाते है । प्रार्थी के खेत व सड़क के मध्य खसरा नम्बर 48 सरकारी भूमि व खसरा नम्बर 49 गै.मु.रास्ता सर्व मार्ग स्थित है जिसमें खसरा नम्बर 49 राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता सर्व मार्ग दर्ज है लेकिन खसरा नम्बर 48 सरकारी खाता दर्ज है खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर).

Scanned with CamScanner

नम्बर 48 सरकारी खाता को वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी के रूप में दर्शाया हुआ है इसलिए खारिया अनावास से मालावास डामर सड़क से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी. खसरा नम्बर 48 में से रास्ता घोषित करवाया जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 81/1 व 82 व खारिया अनावास व मालावास जाने वाली डामर सड़क के मध्य लाल स्याही से दर्शाया रास्ता पीढ़ियो से रास्ता के रूप में विद्यमान है जिसमें खसरा नम्बर 49 राजस्व रेकर्ड में पहले से ही गै.मु.रास्ता सर्व मार्ग दर्ज है लेकिन खसरा नम्बर 48 सरकारी भूमि खाता दर्ज है जिसको वादग्रस्त रास्ता के रूप में मार्क ए.बी.सी.डी दर्शाया हुआ है जिसे राजस्व रेकर्ड में 30 फीट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया जाने का आदेश फरमावें जिससे डामर सड़क से प्रार्थी वादग्रस्त रास्तो से होकर लाल स्याही से दर्शाये रास्ता रास्ता अपने खेतो में आ जा सके । वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी खसरा नम्बर 48 रकबा 09 बिस्वा को 30 फीट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया जाने का आदेश फरमावें । ग्राम खारिया अनावास से मालावास डामर सड़क से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी. से होकर लाल स्याही से दर्शाये रास्ता रास्ता प्रार्थी पीढ़ियो से अपने अपने खेत में आता जाता रहा है इसलिए प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है । वादग्रस्त रास्ता सबसे निकटतम सुलभतम रास्ता है । वादग्रस्त रास्ता वाली भूमि सरकारी भूमि है जिसको पीढ़ियो से रास्ता के रूप में ही उपयोग उपभोग किया जाता रहा है लेकिन सरकारी रेकर्ड में रास्ता नही होने से प्रार्थी ने अप्रार्थी को वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु दिनांक 25. 08.2019 को लिखित में निवेदन करने पर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा से ही रास्ता घोषित करवाने का कहने पर प्रार्थी को श्रीमान न्यायालय हाजा में उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी के अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 82 व 81/1 में आने जाने हेतु ग्राम खारिया अनावास से मालावास जाने वाली डामर सड़क से वादग्रस्त रास्मा मार्क ए. बी. सी. डी खसरा नम्बर 48 में से 30 फूट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया जाने का आदेश फरमावें । जिससे प्रार्थी डामर सड़क से लाल स्याही से दर्शाये अनुसार अपनी खातेदारी जमीन में आ जा सके । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी की ओर से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम मालावास से खारिया अनावास डामर सड़क के पूर्वी तरफ प्रार्थी भल्लाराम की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
बीलाड़ा (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

भूमि स्थित है जिसमें आने जाने का रास्ता वर्तमान में चालू है । जो ग्राम खारिया अनावास के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय में चल रहा है उक्त भूमि सरकारी भूमि है खसरानम्बर 48 के पश्चात खसरा नम्बर 49 रकबा 2.3542 हैक्टयर किस्म गै.मु.गौचर में से होता हुआ रास्ता प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि 81 व 81/1 तक जाता है । अतः खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय को रास्ता घोषित किया जाना उचित है । ग्राम खारिया अनावास की असिचित रोड़ के पास भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर राशि रूपये 109085/– से रास्ते हेतु प्रस्तावित सरकारी भूमि खसरानम्बर 48 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि की कुल मालियत राशि रूपये 7942/– बनती है जिसकी दुगुनी राशि रूपये 15884/– होती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि अब प्रार्थी के खेत ग्राम खारिया अनावास खसरा नम्बर 81 व 81/1 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0728 हैक्टयर भूमि किस्म बारानी द्वितीय में आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता चल रहा है जो पीपाड़ शहर से साथीन डामर रोड़ से लगता है । इसलिए पूर्व से ही रास्ता होने के कारण नये रास्ते की मांग की है जो न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner